**दिनांक–05.10.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के किशनगंज एवं वैशाली जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

**I. Audit:--**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज एवं वैशाली जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से क्रमशः 08 एवं 04 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की किशनगंज जिले में वर्ष 2015–16 की 01 एवं वैशाली जिले में 2018–19 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

**II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–**

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**कृ0पृ0उ0**

Post CFMS Period में कुल 170.61 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से 14वॉ वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(ख)** वैशाली जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 324.93 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता, एम0एन0वाई0(पेयजल) एवं एम0एन0वाई0 (प्रशासनिक व्यय)/लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक एवं तकनीकी सहायक मानदेय/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक का मानेदय की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

## III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज एवं वैशाली जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः कुल 2678 एवं 5300 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1853 एवं 2437 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 1037 एवं 2172 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, किशनगंज एवं वैशाली)**

## IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक किशनगंज एवं वैशाली जिले में क्रमशः कुल 479 एवं 926 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 413 एवं 708 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 10 एवं 50 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित

**लगातार.....**

शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

## V. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज एवं वैशाली जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः 09 एवं 30 मामलों के विरूद्ध 06 एवं 16 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

## VI. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 41, 75 एवं 62 Aspiration के विरूद्ध 41, 74 एवं 61 का निष्पादन किया गया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

वैशाली जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 144, 80 एवं 77 Aspiration के विरूद्ध एक का भी निष्पादन नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। जुन, जुलाई एवं अगस्त माह में क्रमशः 89, 174 एवं 219 आवेदनो का BPRO द्वारा Mapping ही नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेश दिया गया कि सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

## VII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

**01. किशनगंज– (क)** जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 70 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध सभी का हस्तांतरण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 70 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 70 में RTPS केन्द्र, 70 में विद्युत कनेक्शन, 31 में डाकघर, 37 में NOFN एवं 48 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में



**लगातार.....**

उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 70 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र सभी 70 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**(ख)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 16 PSB के विरूद्ध सभी 16 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

**(ग)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 09 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से 05 का निराकरण हुआ है। पोठिया पंचायत में चिन्हित स्थल विवादित है। मालिनगाँव पंचायत में स्थल अतिक्रमित है। दल्लेगाँव पंचायत में पहुँच पथ नहीं है। झिलझिली पंचायत में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु ADM स्तर पर लंबित है। निदेश दिया गया कि पोठिया एवं मालिनगाँव पंचायत में वैकल्पिक भूमि का चयन करें। जमाबंदी रद्दीकरण हेतु संबंधित BPRO अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें। जिन पंचायतो में समस्या का निराकरण हो चुका है, वहाँ संबंधित BPRO स्थल भ्रमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

**(घ)** ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 02 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा सभी 02 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 02 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध सभी पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु एक पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**02. वैशाली– (क)** जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 86 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 78 का हस्तांतरण हो चुका है। विदुपर, हाजीपुर, लालगंज एवं महुआ प्रखंड में 01–01 तथा जंदाहा एवं पातेपुर प्रखंड में 02–02 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।



**लगातार.....**

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 78 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 78 में RTPS केन्द्र, 79 में विद्युत कनेक्शन, 38 में डाकघर, 21 में NOFN एवं 18 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 86 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 39 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

**(ख)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 13 PSB के विरूद्ध 07 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जंदाहा प्रखंड के महिसौर पंचायत एवं लालगंज प्रखंड के भतौली भगवान पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर का ही कार्य किया गया है। 04 पंचायतों में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 10 दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

**(ग)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 35 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से एक का भी निराकरण नहीं हुआ है। 03 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर स्थानीय न्यायालय द्वारा Stay Order पारित है। सिन्दुआरी पंचायत में चिन्हित स्थल पर स्थानीय न्यायालय में वाद दायर है। 04 पंचायतों में चिन्हित भूमि मानक के अनुरूप नहीं है। 04 पंचायतों में अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है अथवा मानक के अनुरूप नहीं है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**लगातार.....**

**(घ)** ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 15 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा सभी 15 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 15 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 12 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 10 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

## VIII. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज जिले में अद्यतन स्थिति तक 125 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 43 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 43 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 43 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से सभी 43 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 31 पंचायतो में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**(ख)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वैशाली जिले में अद्यतन स्थिति तक 278 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 33 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 33 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा 30 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 18 पंचायत में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में अबतक TA द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतो के TA के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

## IX. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

**01. किशनगंज– (क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 77 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में

**लगातार.....**

शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।
**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**(ख)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 79, पंचायत समिमि में 53 एवं ग्राम पंचायत में 154 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**02. वैशाली–** **(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 65 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।
**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

**(ख)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से पंचायत समिति में 07 एवं ग्राम पंचायत में 44 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

## X. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

**01. किशनगंज–** (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

| 15वीं वित्त आयोग | | |
|---|---|---|
| **क्र०सं०** | **त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं** | **व्यय प्रतिशत** |
| **01** | जिला परिषद् | 36.73% |
| **02** | पंचायत समिति | 65.84% |
| **03** | ग्राम पंचायत | 57.23% |

दीघलबैंक प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि कम है।

**लगातार.....**

(ख) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 756 के विरूद्ध 570, पंचायत समिति में 1194 के विरूद्ध 89 एवं ग्राम पंचायत में 9573 के विरूद्ध 1633 योजना ही पूर्ण की गयी है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–**

1. दीघलबैंक प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**02. वैशाली–** (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

| 15वीं वित्त आयोग | | |
|---|---|---|
| **क्र०सं०** | **त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं** | **व्यय प्रतिशत** |
| **01** | जिला परिषद् | 24.52% |
| **02** | पंचायत समिति | 48.62% |
| **03** | ग्राम पंचायत | 51.85% |

महनार एवं हाजीपुर प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि क्रमशः शून्य एवं 3.48% है।

(ख) वैशाली प्रखंड में 04, राघोपुर में 02, बिदुपर, चेहराकाला, हाजीपुर, महनार, पटेधी बेलसर एवं सहदेई बुजुर्ग प्रखंडों में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) 15 लाख से उपर जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत में 01–01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

(घ) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 1330 के विरूद्ध 191, पंचायत समिति में 2223 के विरूद्ध 05 एवं ग्राम पंचायत में 12107 के विरूद्ध 372 योजना ही पूर्ण की गयी है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–**

1. महनार एवं हाजीपुर प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. DDC जिला परिषद में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।



**लगातार.....**

4. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

**XI. षष्ठ्म राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–**

**01. किशनगंज**– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

| षष्ठम राज्य वित्त आयोग | |
|---|---|
| **त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं** | **व्यय प्रतिशत** |
| जिला परिषद् | 19.20% |
| पंचायत समिति | 37.44% |
| ग्राम पंचायत | 36.28% |

बहादुरगंज प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) कोचाधामन एवं ठाकुरगंज प्रखंडो में 04–04, दीघलबैंक एवं तेहरागाछ प्रखंडों में 02–02 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 365 के विरूद्ध 02, पंचायत समिति में 400 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 2191 के विरूद्ध मात्र 558 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–**

1. बहादुरगंज प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज)**

**02. वैशाली**– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

| षष्ठम राज्य वित्त आयोग |
|---|



लगातार.....

| त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं | व्यय प्रतिशत |
|---|---|
| जिला परिषद् | 46.85% |
| पंचायत समिति | 39.02% |
| ग्राम पंचायत | 31.67% |

हाजीपुर, वैशाली एवं जंदाहा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि क्रमशः शून्य, 4.41% एवं 6.96% है।

(ख) राघोपुर प्रखंड में 11, गोरौल प्रखंड में 09, हाजीपुर प्रखंड में 08, बिदुपुर एवं जंदाहा प्रखंड में 05–05, वैशाली प्रखंड में 03, महनार प्रखंड में 02 एवं भगवानपुर, लालगंज, पातेपुर एवं सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 658 के विरूद्ध 02, पंचायत समिति में 723 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 3940 के विरूद्ध मात्र 108 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–**

1. हाजीपुर, वैशाली एवं जंदाहा प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली)**

## XII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

**(क)** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक किशनगंज एवं वैशाली जिले में क्रमशः 4050 एवं 9420 लक्ष्य के विरूद्ध 4050 एवं 9210 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। वैशाली जिले में 210 लाईटो का अधिष्ठापन शेष है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही वैशाली जिले में CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की कुल संख्या क्रमशः 1387 एवं 41 है।

**(ख)** चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज जिले में एजेंसी को 100% भुगतान हो चुका है।



**लगातार.....**

वैशाली जिले में एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी 05 प्रखंडों में शून्य राशि का भुगतान किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज में 71% एवं वैशाली जिले में 08% मामलो का निष्पादन हो चुका है।

**(ग)** दिनांक– 01.01.2026 से 30.09.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज एवं वैशाली जिले में क्रमशः 83% एवं 85% सोलर लाईट ON पाई गयी है।

**उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–**

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा किशनगंज एवं वैशाली जिले में Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

**XIII.** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज एवं वैशाली जिले में जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

**XIV. लंबित न्यायिक वाद :–**

वैशाली जिले में 01 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली एवं प्रशाखा–9)**

**XV. e- GRAM KACHAHARI :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किशनगंज एवं वैशाली जिले में प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन

**लगातार.....**

ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

**(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

**XVI. विधान सभा/परिषद–**

किशनगंज एवं वैशाली जिले में 05–05 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली एवं सभी प्रशाखा)**

**XVII.** उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। किशनगंज एवं वैशाली जिले में भी क्रमशः 61 एवं 36 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली)**

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

**(मनोज कुमार)**
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

**ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14584/पं०रा० पटना, दिनांक 13/10/2026**

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, किशनगंज एवं वैशाली/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली /अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/26

**(अखिलेश कुमार सिंह)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

**ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14584/पं०रा० पटना, दिनांक 13/10/2026**

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/26

**(अखिलेश कुमार सिंह)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14584/पं०रा० पटना, दिनांक 13/10/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/10/26

**(अखिलेश कुमार सिंह)**
विशेष कार्य पदाधिकारी